न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़,

पिठासिन अधिकारी– **चन्द्रशेखर, भण्डारी**

(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 157/2022 प्रा0पत्र

रतनलाल पिता उदयराम जाति भील आयु वयस्क, निवासी मुरलिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

.........प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

.......विपक्षी

निर्णय धारा 136 एल0आर0 एक्ट,

मु0 नं0 157/2022 प्रा0पत्र

निर्णय दि0 :– 24.08.2022

उपस्थिति :– **प्रार्थी अधिवक्ता कौशल भराड़िया**

विपक्षी पेरोकार सरकार स्वयं।

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है प्रार्थी की खातेदारी की वाके मौजा रामाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 10 की आराजी नम्बर 214 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 की आराजी नम्बर 829/214 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि स्थित है, उक्त आराजी नम्बर पूर्व में मूल आराजी नम्बर 214 का ही भाग था, जिसका साबिक आराजी नम्बर 115 था जो पूर्व में, नवीन आराजी नम्बर 260 में स्थित है जहां वक्त आवंटन से ही मूल खातेदार का आधिपत्य था, विक्रय के बाद प्रार्थी का चला आ रहा है,

इसी प्रकार ग्राम महादेवपुरा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 25 के आराजी नम्बर 489/261 रकबा 0.2600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 41 की आराजी नम्बर 261 रकबा 0.7700 हैक्टेयर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 137 थे, उक्त दोनो ही आराजीयात के रकबे अनुसार प्रार्थी एक चक के रूप में नवीन आराजी नम्बर 407 में काबिज है जो मूल आंवटी को आवंटन के समय आधिपत्य सुपूर्द किया गया था, वहीं विक्रय के वक्त प्रार्थी को आधिपत्य सुपूर्द किया गया, जिस पर प्रार्थी काबिज ही। उक्त दोनो ही ग्राम की भूमियां प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जिसे नवीन भू प्रबंध लागू होने के बाद भू प्रबंध कर्मिकों व राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से नक्शे में गलत जगह पैमूद कर दी, जिसकी दुरूस्ती हेतू प्रार्थी ने कई मरतबा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

विपक्षी को मौखिक रूप से कहा, परन्तु उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिये यह आवेदन पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती हेतू पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी से इस संबंध में जवाव मय रिपोर्ट तलब किया गया, विपक्षी उपस्थित आये जिन्होनें उक्त पत्रावली में प्रार्थी के कथनों की ताईद की एवं भू प्रबंध कर्मिकों की गलती को स्वीकार किया, एवं प्रस्तावित नक्शा भी अपने जवाव एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई, जिन्होनें अपनी बहस में उपर वर्णित सभी कथनों को दौहराया एवं आवेदन पत्र स्वीकार करने बावत् निवेदन किया, जिस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अध्यन किया गया। रेकार्ड एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि मौजा रामाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 10 की आराजी नम्बर 214 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 की आराजी नम्बर 829/214 रकबा 0.50 हैक्टेयर के कुलियां रकबे को नवीन आराजी नम्बर 260 के कुलिया रकबे में से रकबा 0.67 हैक्टेयर तक प्रार्थी की खातेदारी में संलग्न नक्शे अनुसार दर्ज किया जावें एवं आराजी नम्बर 214 व 829/214 के कुलिया रकबे 0.67 हैक्टेयर को चारागाह में दर्ज किया जावें।

इसी प्रकार ग्राम महादेवपुरा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 41 के आराजी नम्बर 261 एवं खाता संख्या 25 की आराजी नम्बर 489/261 का कुलिया रकबा 1.03 हैक्टेयर को नवीन आराजी नम्बर 407 के कुलिया रकबे में से रकबा 1.03 हैक्टेयर तक प्रार्थी की खातेदारी में संलग्न नक्शे अनुसार दर्ज किया जावें एवं आराजी नम्बर 261 एवं आराजी नम्बर 489/261 का कुलिया रकबा 1.03 हैक्टेयर चारागाह दर्ज किया जावें। इसी अनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज करवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)